22/02/2021

प्रमाणपत्र पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित
पत्रावली बहस सुनी गई। विपक्षीगण
द्वारा प्रा.प. का खण्डन नहीं किया
गया एवं ले. प्रा.प. के दावा की
पुष्टि चाही है। विवादित आराजी
विपक्षी ले.। के तरफ खातेदारी में
दिखाई दे रही है। आराजी रकबा कुल होने का
होना है। दोनों प्रार्थी को शांति होकर
अंदेशा
लम्बित है। प्रकरण हकदार प्रमाणित
एक सुविधा सन्तुलन प्रार्थी का
पक्ष में जाता है अतः आवेदन
पत्र में जाता है। 2/8/2017 से
आवेदिका दिया आराजी अस्थायी निषेधाज्ञा
जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा
कायम की जाती है। मूल वाद
के निस्तारण तक विपक्षी लोगों
1 व 2 को पाबन्द किया जाता है
कि मौजा शेखपुरा पर 60 बीघा
की कायम ले. 23 की आ.न. 81, 82
92, 94, 95, 96, 196, 197
कुल किता 8 कुल रकबा 0.56
हेक्टेयर भूमि से छेड़छाड़ रास्ता
रेवाड़ी एवं मोकों की यथास्थिति
कायम रखें उसमें किसी तरह
का परिवर्तन नहीं करें न कावे
निर्माण खुले आमादा लिखवाया जाकर
सुनाया जाकर पढ़कर
सुनाया

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.03 16:57:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner